

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
बल्लभ भवन भोपाल-462004

क्रमांक-एच-73- 40/2009/20-3
प्रति,

भोपाल, दिनांक 17-6-2009

सचिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
प्रीत बिहार, नई दिल्ली।

विषय:- अज्ञातकीय संस्था झाड़ अतनामजी गर्ल्स स्कूल बुदनी
- शिक्षा सचिव-मध्य प्रदेश -
को सी. वी. स्ट. ई / आई सी स्ट. ई नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु
अनापत्ति प्रमाण पत्र देने बाबू ।

राज्य शासन द्वारा अज्ञातकीय संस्था झाड़ अतनामजी गर्ल्स स्कूल बुदनी जिला सीहोर मध्य प्रदेश को सी. वी. स्ट. ई / आई सी स्ट. ई, नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है:-

1. प्रदेश में शिक्षण की जो संस्थाएँ स्थापित हो चुकी है, उनका लाभ प्रदेश के छात्रों एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल को मिल सकें इस हेतु संस्था की कार्यकारिणी में म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल के प्रतिनिधि/अधिकारी को नामांकित किया जाये।
2. विभिन्न अवसरों पर छात्रों के आयोजित होने वाले सांस्कृतिक एवं खेलकूद कार्यक्रम तथा अन्य छात्र-शिविरों की गतिविधियों के लिये खेल का मैदान छात्रावास भवन सुविधा आदि आवश्यकानुसार उपलब्ध करायेगे। इस हेतु संस्था से वचन पत्र लिखाया जाये।
3. इस संस्थाओं के संभालन में अनिश्चितता की शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जो संस्था का निरीक्षण/जांच करने का अधिकार होगा।

निरन्तर. 2 पर

Principal
Shah Satnam Ji Girls School
Bansapur, Budni

Manager
Shah Satnam Ji Girls
Budni, M.P.

4. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल या अन्य बोर्ड के सम्बन्धिता मिलने के उपरांत भी म.प्र. राज्य शासन व लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा समय-समय पर शिक्षा के प्रबंध एवं विकास के संबंध में जारी निर्देशों का पालन करने का वचन-पत्र संस्था से प्राप्त किया जायेगा ।
5. संस्था की प्रबंध कार्यवाही समिति में म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधि कार्यकारिणी समिति में सम्मिलित करना अनिवार्य होगा ।
6. प्रदेश के खेल आयोजनों, सांस्कृतिक आयोजनों, विज्ञान मेला का आयोजन आदि में सहयोग एवं सार्थक भूमिका प्रदान करेंगे ।
7. अज्ञातकीय शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रदेश संबंधी नियम प्रक्रिया तथा निर्धारित शुल्क यथा-समय प्रकाशित किये जायेंगे । शिक्षण शुल्क लेने में पालकों का शोषण नहीं किया जायेगा ।
8. छात्र-छात्राओं को शालाओं में लगने वाले पुस्तकें एवं लेखन सामग्री खली बाजार से क्रय करने की सुविधा रहेगी । किसी दुकान विशेष से क्रय करने की बाध्यता नहीं रहेगी ।
9. शिक्षण संस्थाओं में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार क्रियाशील अग्नि शमन यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था होगी तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा अध्यापक संस्थाओं के संबंध में समय-समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों का पालन संस्थाओं को करना होगा । संस्था के छात्रों को उनके निवास से विद्यालय तक लाने एवं वापिस निवास तक भेजने के लिये परिवहन विभाग द्वारा दी गई अनुमति प्राप्त एवं वैध वाहनों का ही उपयोग किया जायेगा । छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से इस हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों को किसी भी सेते ज्वलनशील साधन जैसे घरेलू सल. पी. जी. आदि से संयोजित नहीं किया जायेगा ।
- 10.




निरन्तर. 3 र

Principal
Shah Satnam Ji Girls School
Bansapur, Budni

Manager
Shah Satnam Ji Girls School
Budni, M.P.

11. निःशक्त छात्रों के लिये संस्था की रेम्प की व्यवस्था करना आवश्यक होगा। कोई भी संस्था निःशक्त छात्रों को प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगी। इतने संबंध में प्राप्त शिक्षा वित्त विभाग से सिद्ध पाई गई तो संस्था का अनापूर्ति प्रमाण-पत्र समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।
12. संस्था के पुस्तकालय में जाति एवं धर्म के आधार पर भेद-भाव तथा साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले किन्हीं पुस्तकों का संग्रहण नहीं किया जाएगा और भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रतिबंधित पुस्तकें भी नहीं रखी जा सकेंगी।

मध्य प्रदेश, के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


श्री. सतनम जी

अवर सचिव

म. प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
भोपाल, विनांक

पु.क्र. 73- 40/2008/20-3
प्रतिलिपि:-

1. आशुतोष शोध संयोजन, म. प्र. भोपाल।
 2. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला - सीहोर म.प्र.
 3. प्राचार्य, अशासकीय शिक्षा संस्था - बुधनी जिला - सीहोर - म.प्र.
 4. आर्डर बुक।
- की ओर सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रोहित।

अवर सचिव

म. प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

Principal
Shah Satnam Ji Girls School
Bansapur, Budni


Manager
Shah Satnam Ji Girls School
Budni, M.P.